



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271437
CG-DL-E-31032026-271437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 206]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 225(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा की धारा 53 और 53क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 17, धारा 17क, धारा 18 और धारा 22 के साथ पठित धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2025 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) (क) "प्राधिकरण" से बोर्ड, राज्य कर नोडल प्राधिकरण, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा फीस बोर्ड तथा संबंधित राज्यों के राज्य लेखा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा फीस बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "प्रत्यय के क्रॉस उपयोग" से अभिप्रेत है-

- (i) केंद्रीय कर या राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए एकीकृत कर के लेखे प्रत्यय, या
- (ii) यथास्थिति, संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 या धारा 49क या धारा 49ख अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 या धारा 9क या धारा 9ख अथवा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 18 के उपबंधों के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 या धारा 49क या धारा 49ख के उपबंधों के अनुसार एकीकृत कर के संदाय के लिए केंद्रीय कर या राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लेखे प्रत्यय;

(घ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "आवक कर प्रत्यय" से आवक कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(च) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्या वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(छ) 'रिपोर्ट' से इन नियमों द्वारा या इनके अधीन विनिर्दिष्ट या अन्यथा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य लेखा प्राधिकरण" से किसी राज्य का लेखा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

(झ) "राज्य कर नोडल प्राधिकरण" से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राज्य का करधान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या, उक्त किसी विधि के अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः इन अधिनियमों में हैं।

3. **रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण** - सामान्य पोर्टल उन महीने की 25 तारीख तक प्राधिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें माल और सेवा कर विवरणी प्रस्तुत की जाती है:

परंतु यह कि यदि महीने की 25 तारीख को छुट्टी हो, तो उक्त रिपोर्ट छुट्टी के पश्चात् पहले कार्य दिवस तक भेजी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि विवरणी फाइल करने की तारीख बढ़ाई जाती है, तो निपटान रिपोर्ट तैयार करने की तारीख उसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी।

4. **केंद्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य एकीकृत कर के क्रॉस-उपयोग और प्रभाजन की रिपोर्ट.**—केंद्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य एक महीने में किए जाने वाले निधियों के अंतरण से संबंधित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 से जीएसटी एसटीएल-1.12 में** निम्नानुसार प्रेषित किया जाएगा ;

(क) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 में** प्रत्येक राज्य के लिए एक मासिक समेकित विवरण, जिसमें अंतरित की जाने वाली कुल रकम से संबंधित खंड (ख) में निर्दिष्ट विवरण सम्मिलित हैं:-

- (i) केंद्रीय (एकीकृत कर) से राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) या राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) से केंद्रीय (एकीकृत कर) तक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53, संबंधित राज्य

के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य माल और सेवा कर अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 में दिए गए उपबंध के अनुसार प्रत्यय के क्रॉस-उपयोग के कारण;

(ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 में उपबंध के अनुसार केंद्रीय (एकीकृत कर) से राज्य (राज्य कर) अथवा केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को प्रभाजन के आधार पर।

(ख) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** में निहित सूचना से संबंधित राज्यवार विवरण वाली मासिक रिपोर्टें निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

(i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने, यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 (आवक सेवा वितरक द्वारा क्रॉस उपयोग सहित) के अनुसार, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या केंद्रीय कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके एकीकृत कर की देयता का निर्वहन किया है, जैसा भी मामला हो, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.02** में होगा।

टिप्पण: केंद्रीय कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके निर्वहन की गई एकीकृत कर देयता का सारांश और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके निर्वहन की गई देयता को **क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** दोनों के स्तंभ (3) में दर्शाया जाएगा;

(ii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के अधीन अवधारित उपबंधों के अनुसार, एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, जैसा भी मामला हो, की देयता का संदाय किया है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.03** में होगा।

टिप्पण: एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय से छूटे हुए राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर के कारण देनदारियों का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** के स्तंभ (4) में दर्शाया जाएगा।

(iii) रजिस्ट्रीकृत लोगों या अरजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची, जिन्होंने नीचे दी गई परिस्थितियों में एकीकृत कर दिया है और जिसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार बांटा जाना ज़रूरी है:-

(अ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची-

(I) जिन्होंने किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या इकाइयों को आवक सेवा वितरक द्वारा ऋण वितरण सहित बाहरी अंतर-राज्यीय आपूर्ति की है; या

(II) जिन्होंने किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच और पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की हैं; या

(III) जिन्होंने कर का संदाय करके विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति की है, लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और संबंधित राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के भीतर उसी के प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है, या प्रतिदाय का दावा, पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकारकर दिया गया है; या

(IV) जिन्होंने कर का संदाय करके निर्यात किया है, लेकिन प्रतिदाय का दावा, पूर्ण या आंशिक रूप से, अस्वीकार कर दिया गया है, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.04 में होगी।

स्पष्टीकरण:- खंड 3 या खंड 4 में विनिर्दिष्ट सूची इस संबंध में तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अवधारित किए गए एकीकृत कर के संदाय के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण : इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 2.01 के स्तंभ (5) में दर्शाया जाएगा।

(आ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची जिन्होंने बाहरी अंतर-राज्यीय आपूर्ति की है,-

(I) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, या अनिवासी कराधेय व्यक्तियों को; या

(II) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 या 52 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति; या

(III) ऐसे विशिष्ट पहचान संख्या धारक जिन्होंने इस संबंध में दी गई समय सीमा के भीतर आवक कर की वापसी का दावा नहीं किया है, उन्हें प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.05 में भरना होगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 दोनों के स्तंभ (6) में दर्शाया जाएगा।

(इ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची, जिन्होंने अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति प्राप्त की है या ऐसे आयात किए हैं जिनके संबंध में आवक कर प्रत्यय:-

(I) अयोग्य घोषित कर दिया गया है; या

(II) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (4) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध के अनुसार या जहां आपूर्ति पूरी तरह से छूट प्राप्त हो गई है, शमन स्कीम में सम्मिलित होने के कारण समाप्त हो गया है; या

(III) रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में पड़े आवक (चाहे वे वैसे हों या अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित हों) या पूंजी माल के संबंध में लाभ उठाया गया हो, जहां उक्त कर का संदाय रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के आवेदन के साथ किया गया हो, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (5), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार; या

(IV) उप-मद (III.) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कर, जिसका संदाय अंतिम विवरणी के साथ किया गया है,

(V) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) में उल्लिखित समय अवधि की सीमा के कारण आवक कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं है।

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.06 में दर्शाया जाएगा :

परंतु प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.06 में उक्त रिपोर्ट इस संबंध में अवधारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर आवक कर प्रत्यय के ऐसे रिवर्सल या उपयोग के संबंध में रकम के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 दोनों के स्तंभ (7) में दर्शाया जाएगा।

(ई) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति प्राप्त की है या ऐसे आयात किए हैं जिनके संबंध में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (च) में विनिर्दिष्ट अवधि तक आवक कर प्रत्यय का लाभ नहीं उठाया गया है, इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.07 में दर्शाई जाएगी।

परंतु प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.07 में उक्त रिपोर्ट इस संबंध में अवधारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर आवक कर प्रत्यय की ऐसी घोषणाओं के संबंध में रकम के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01** दोनों के स्तंभ (8) में दर्शाया जाएगा।

(उ) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयात करने वाले अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.08** में दर्शाई जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (9) में दर्शाया जाएगा।

(ऊ) सूची:-

(I) संयुक्त करधेय व्यक्ति जिन्हें आयात के माध्यम से आपूर्ति मिली है और जिस पर एकीकृत कर चुकाया गया है; या

(II) विशिष्ट पहचान संख्या धारक जिन्हें आयात के माध्यम से आपूर्ति मिली है, जिस पर एकीकृत कर दिया गया है और जिन्होंने इस बारे में बताए गए समय के भीतर धनवापसी का दावा नहीं किया है; या

(III) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिनियम की धारा 51 या धारा 52 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने आयात के माध्यम से ऐसी आपूर्ति प्राप्त की है जिस पर एकीकृत कर का संदाय किया गया है; या

(IV) संयुक्त करधेय व्यक्ति या अनिवासी करधेय व्यक्ति जिन्होंने अंतरराज्यीय आपूर्ति प्राप्त की है जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है,

उन्हें **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.09** में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल -1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 2.01** दोनों के स्तंभ (10) में दर्शाया जाएगा।

(छ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने एकीकृत कर पर ब्याज का संदाय किया है, तथा आईजीएसटी के अधीन अग्रिम निर्णय आवेदन दाखिल करने के लिए जमा किया गया फीस **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 1.12** में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (11) में दर्शाया जाएगा।

5. केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) के मध्य एकीकृत कर के क्रॉस-उपयोग और प्रभाजन की रिपोर्ट.— एक महीने में केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) के मध्य निधियों के अंतरण से जुड़ी जानकारी, कॉमन पोर्टल द्वारा अधिकारियों को **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** से **जीएसटी एसटीएल-2.02** में भेजी जाएगी, जो निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(क) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** में राज्यवार ब्यौरे वाला मासिक समेकित विवरण जिसमें अंतरित की जाने वाली कुल रकम संबंधित विवरण सम्मिलित हैं :-

(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 में दिए गए उपबंध के अनुसार प्रत्यय के क्रॉस-उपयोग के कारण, यथास्थिति, केंद्रीय (एकीकृत कर) से केंद्रीय (केंद्रीय कर) को, या केंद्रीय (केंद्रीय कर) से केंद्रीय (एकीकृत कर) को; और

(ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 में दिए गए उपबंधों के अनुसार केंद्रीय (एकीकृत कर) से केंद्रीय (केंद्रीय कर) तक प्रभाजन के कारण;

(ख) मासिक रिपोर्ट जिसमें राज्यवार विवरण होगा जिसमें उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची होगी जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.02** में एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके केंद्रीय कर की देनदारियों का निर्वहन किया है।

टिप्पण: एकीकृत कर के प्रत्यय का उपयोग करके चुकाई गई केंद्रीय कर देयता का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 के स्तंभ (4) में दर्शाया जायेगा और केंद्रीय कर के प्रत्यय का उपयोग करके चुकाई एकीकृत कर देयता का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 के स्तंभ (3) में दर्शाया जायेगा।

6. मांग के विरुद्ध वसूले गए एकीकृत कर और अपील फाइल करते समय जमा की गई स्वीकृत रकम के केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) अथवा केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य प्रभाजन से संबंधित रिपोर्ट— एकीकृत कर की वसूली और उस पर ब्याज और शास्ति मांग आदेश के आधार पर, या अपील फाइल करते समय जमा की गई स्वीकार्य रकम या महीने में की जाने वाली चक्रवृद्धि रकम से संबंधित विवरण कॉमन पोर्टल द्वारा प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.01 से जीएसटी एसटीएल-3.02 में अधिकारियों को इस प्रकार भेजा जाएगा: -

(क) एकीकृत कर के रूप में वसूली गई रकम का सारांश, और उस पर ब्याज और शास्ति, या अपील फाइल करने के समय जमा की गई स्वीकार्य रकम या चक्रवृद्धि रकम को राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर), और केंद्रीय (केंद्रीय कर) में विभाजित करने के लिए, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.01 में मासिक राज्यवार समेकित विवरण होगा; (ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिनसे एकीकृत कर की वसूली उनके देय ब्याज और शास्ति सहित की गई है, या जिन्होंने अपील फाइल करते समय एकीकृत कर की स्वीकृत रकम जमा की है, या चक्रवृद्धि रकम, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.02 में होगी।

टिप्पण 1: अपील फाइल करते समय जमा किए गए एकीकृत कर की स्वीकृत रकम, उस समय की रिपोर्ट में दिखाई जाएगी, जिस दौरान संबंधित अपील फाइल हुई है।

टिप्पण 2: एकीकृत कर की वसूली और मांग आदेश के आधार पर उस पर ब्याज और शास्ति उस अवधि में दर्शायी जाएगी, जिसके दौरान रकम पूरी तरह से वसूल की जाती है।

7. उस एकीकृत कर रकम के प्रभाजन से संबंधित रिपोर्ट, जहां आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका हो या ऐसी आपूर्ति करने वाला कराधेय व्यक्ति केंद्रीय (केंद्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य परिलक्षित नहीं किया जा सका हो— एक महीने में किए जाने वाले राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) को एकीकृत कर के प्रभाजन से संबंधित विवरण, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.01 से जीएसटी एसटीएल-4.03 में, सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को इस प्रकार भेजा जाएगा:—

(क) एक मासिक राज्य-वार समेकित विवरण जिसमें राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) को एकीकृत कर के प्रभाजन का सारांश दिखाया गया है, एक विशेष महीने में एकत्रित एकीकृत कर से संबंधित है जिसके संबंध में आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका है या ऐसी आपूर्ति करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन दिया गया है, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.01 में होगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिनसे एकीकृत कर संग्रहीत किया गया है, जिसके संबंध में कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका है, और जिसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन उपबंध के अनुसार विभाजित किया जाना है, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.02 में होगा;

स्पष्टीकरण:- किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने निर्यात किया है लेकिन धारा 54 में अवधारित सुसंगत अवधि के भीतर उसी के प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है या प्रतिदाय के दावे को, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, नियम 4(ख)(iii)(अ)(III) या 4(ख)(iii)(अ)(IV) में निर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी अन्य आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, प्ररूप एसटीएल- 4.02 में रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) एकीकृत कर का ब्यौरा एकत्रित किया गया है जिसके संबंध में ऐसी आपूर्ति करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, और उसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन उपबंध के अनुसार विभाजित किया जाना है, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.03 में होगा और यह एक वार्षिक रिपोर्ट होगी जो हर वर्ष अक्टूबर में पेश की जाएगी।

8. पहले प्रभाजन लेकिन पश्चात् में वापस किए गए एकीकृत कर के कारण केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती से संबंधित रिपोर्ट— (1) केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती से संबंधित विवरण, जो एक महीने में किए जाने हैं, सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 से जीएसटी एसटीएल-5.04 में भेजे जाएंगे, जो पहले आवंटित एकीकृत कर के कारण हैं, परंतु:-

(क) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के अनुसार पश्चात् में वापस कर दिया गया हो; या

(ख) उक्त एकीकृत कर के कारण अपात्र प्रत्यय, जो पहले विभाजित किया गया था, संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (1), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (1) के अनुसार पात्र हो गया है,

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 से जीएसटी एसटीएल-5.03 में निम्नलिखित रीति में होगा।

(2) (क) एक मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें सारांश दर्शाया गया है जिसमें कराधेय व्यक्ति द्वारा संदाय किए गए एकीकृत कर को पहले ही विभाजित कर दिया गया है किंतु-

(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों के कारण व्यक्ति को पश्चात् में वापस की गई रकम, जिसके कारण एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के अनुसार किसी विशेष माह में केंद्रीय (केंद्रीय कर) या राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती आई हो; या

(ii) उक्त उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अनुसार, पूर्व में विभाजित उक्त एकीकृत कर के कारण अपात्र प्रत्यय, जो पश्चात् में पात्र हो गया है,

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 में होगा;

(ख) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01** में दी गई जानकारी से जुड़े राज्य-वार विवरण से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी निम्नानुसार दी जाएगी:

(i) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तियों की सूची, जहां एकीकृत कर का संदाय अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति के कारण किया गया था, जिसके लिए आवक कर प्रत्यय पहले अपात्र था और विभाजित किया गया था, लेकिन अब संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अनुसार पात्र हो गया है, जिससे एकीकृत कर में कमी आई है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.02 में होगा।**

टिप्पण: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में जमा की जाने वाली रकम में कटौती का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01** के क्रम.सं. 1 पर दर्शाया जाएगा;

(ii) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तियों की सूची, जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) की धारा 79 के अधीन वसूला गया एकीकृत कर या सक्षम अधिकारी द्वारा की गई मांग के परिणामस्वरूप संदाय किया गया कर विभाजित किया गया है, और इस प्रकार वसूल की गई रकम पश्चात् में अपील आदेश के अनुसरण में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107, धारा 112, धारा 113, धारा 117 और धारा 118 तथा संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) के अधीन, वापस कर दी जाती है, या जहां संदाय किए गए एकीकृत कर की रकम पश्चात् में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 77 के अनुसार वापस कर दी जाती है, जैसा कि पूर्वोक्त है, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत कर में कमी होती है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.03 में होगा।**

टिप्पण: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में डेबिट की जाने वाली रकम में कमी का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01** के क्रम.सं. 2 पर दर्शाया जाएगा;

(iii) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तियों की सूची, जहां एकीकृत कर के संदाय की देयता केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37, धारा 38 और धारा 39 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) के अधीन प्रदान की गई विवरणी के सुधार के कारण उक्त संदाय के पश्चात् देय रकम में संशोधन से भिन्न किसी अन्य कारण से कम हो जाती है, और इस प्रकार संदाय किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर को विभाजित किया गया है, और अब इसे केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर से कम किया जाना आवश्यक है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.04 में होगा।**

टिप्पण 1: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में जमा की जाने वाली रकम में कमी का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 के क्रम.सं. 3 में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण 2: किसी विवरणी में सुधार के कारण देय कर में संशोधन के कारण होने वाली कटौती को विवरणी में मूल्यों को घटाकर निपटाया जाता है और इसलिए प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.04 में जो शेष रहेगा वह केवल किसी अन्य कारण से संदाय किए गए कर में कटौती है।

9. प्रतिदाय से विभिन्न करों की वसूली और नकद खाता बही में रकम के अंतरण से संबंधित रिपोर्ट.—

केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) या केंद्रीय (उपकर) के मध्य समझौते की रिपोर्ट-
(क) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की वापसी से वसूली; और
(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के दूसरे शीर्ष में या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में रकम का अंतरण, जैसा कि संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (10) और धारा 53क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17क के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (10) और धारा 53क में निर्दिष्ट है,

सामान्य पोर्टल द्वारा प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.01 से जीएसटी एसटीएल-6.05 में निम्नानुसार भेजा जाएगा:-

(i) कराधेय व्यक्ति द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय से प्राप्त रकम का सारांश और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अंतरित की गई रकम का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.01 में होगा और विवरण निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा;

(क) जिन कराधेय व्यक्तियों से किसी देयता की वापसी रकम वसूल की गई है उनकी सूची प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.02 में होगी और उसका मुख्य/लघु शीर्ष-वार सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.02ए में होगा; और

(ख) उन कराधेय व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने नकद खाता बही में रकम का अंतर-शीर्ष अंतरण किया है, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.03 में और उसका मुख्य/लघु शीर्ष-वार सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.03क में और राज्य-वार सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.05 में होगा;

(ii) संघ द्वारा वितरित राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रतिदाय का सारांश प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.04 में कराधेय व्यक्ति-वार प्ररूप एसटीएल-6.04क के साथ केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

टिप्पण: प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.04 निपटान प्रक्रिया का भाग नहीं है, लेकिन रिपोर्ट राजस्व विभाग को प्रेषित की जाती है।

10. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र और संघ के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट.— (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए प्ररूप जीएसटी एसटीएल-7.01 में एक मासिक समेकित निपटान रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें प्ररूप जीएसटी एसटीएल -1.01, 3.01, 4.01 और 5.01 में निहित निपटान विवरण के समेकित सारांश के आधार पर राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते से एकीकृत कर के लेखे और एकीकृत कर खाते से राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर के लेखे किए जाने वाले निधि के अंतरण के बारे में समेकित जानकारी दी जाएगी।

(2) संघ के लिए एक मासिक समेकित निपटान रिपोर्ट, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-7.02 में रखी जाएगी, जिसमें प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01, 2.01, 3.01, 4.01 और 5.01 में दिये गये निपटान विवरण के समेकित सार के आधार पर केंद्रीय कर खाते से एकीकृत कर खाते और एकीकृत कर खाते से केंद्रीय कर के लेखे की जाने वाली निधि के अंतरण के बारे में जानकारी दी जाएगी।

11. अन्य उपबंध.— (1) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रत्येक राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से किया जाने वाला शुद्ध संदाय या इसके विपरीत की गणना करेगा और माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त आंकड़ों की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर राजस्व विभाग को राज्यवार सारांश भेजेगा और इसके पश्चात्, इस आंकड़े की प्राप्ति अपलोड करने के आधार पर, उप-नियम (2) में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा महीने के लिए एक अनंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

(2) माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में किसी भी विसंगति का समाधान:

(क) प्रत्येक माह के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई उपरोक्त रिपोर्टों के आधार पर, केंद्रीय और संबंधित राज्य लेखा प्राधिकरण, बोर्ड और राज्य कर नोडल प्राधिकरण, प्राप्त संदाय के विवरण, आवक कर प्रत्यय अंतर-उपयोग, उसके परिवर्तन और उनके घोषणाओं के विवरण का मिलान करेंगे, और माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त प्रभाजन विवरण का मिलान करेंगे, और किसी भी विसंगति की स्थिति में अगले महीने की 20 तारीख तक माल और सेवा कर नेटवर्क और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक को सूचित करेंगे।

(ख) यदि इस अवधि के भीतर केंद्रीय या राज्य लेखा प्राधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा किसी विसंगति की ओर इशारा किया जाता है, तो माल और सेवा कर नेटवर्क इसकी जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो एक संशोधित गणना तैयार करेगा और इसे फिर से केंद्रीय और राज्य लेखा, कराधान अधिकारियों और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक को उक्त पश्चात् के महीने की 25 तारीख तक भेज देगा।

(ग) माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त संशोधित गणना के आधार पर और खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट विसंगति का मिलान करने के पश्चात्, यदि किसी राज्य के संबंध में कोई परिवर्तन किए गए हैं, तो प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से किया जाने वाला शुद्ध संदाय या इसके विपरीत की गणना करेगा और माल और सेवा कर नेटवर्क से संशोधित आंकड़े प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर राजस्व विभाग को राज्यवार अंतिम सारांश भेजेगा और इस आंकड़े की प्राप्ति के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा महीने के लिए अंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा, जो नीचे अवधारित प्रक्रिया के अनुसार होगा:—

- (i) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राज्यों के साथ राज्यवार निधि निपटान का विवरण राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजेगा;
- (ii) राजस्व विभाग का एक अभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी मिलने के पश्चात्, हर राज्य को एकीकृत वस्तु और सेवा कर खाते से या हर राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से अंतरित किए जाने वाली निधि का मंजूरी आदेश जारी करेगा।
- (iii) अनंतिम स्वीकृति आदेश उप-नियम (1) के अनुसार प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए विवरण के आधार पर जारी किया जाएगा।
- (iv) अंतिम स्वीकृति आदेश, यदि आवश्यक हुआ तो, खंड (ख) के अनुसार प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए ब्यौरे के आधार पर जारी किया जाएगा।
- (v) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी राज्य-वार निधि निपटान के विवरण की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।
- (vi) राज्य-वार विवरण वाले केंद्रीय लेखा प्राधिकारी को संबोधित इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित) को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड को भेजा जाएगा।
- (vii) क्योंकि मंजूरी पत्र में निपटान का विवरण भी होगा, और इसलिए यह भविष्य में समाधान और लेखा परीक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार के अभिलेख में उपलब्ध होगा।
- (viii) राज्य सरकारों को संघ से मंजूरी के माध्यम से अंतरित की जा रही निधि के बारे सूचित किया जाएगा।
- (ix) मंजूरी की प्रति संबंधित राज्य के महालेखाकार को भी भेजी जाएगी।
- (x) केंद्रीय लेखा प्राधिकारी, राजस्व विभाग से प्राप्त मंजूरी के आधार पर एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइस तैयार करेगा और मंजूरी आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक [केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर] को भेजेगा।
- (xi) भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक इंटर-गवर्नमेंट एडवाइस के आधार पर, भारत की समेकित निधि और संबंधित राज्य की समेकित निधि के मध्य आवश्यक निधि निपटान करेगा; 'निकासी ज्ञापन' बनाएगा और उसे केंद्रीय लेखा प्राधिकारी और राज्य लेखा प्राधिकारी और महालेखाकार को भेजेगा।
- (xii) केंद्रीय लेखा प्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक को इंटर-गवर्नमेंट एडवाइस जारी करते समय समुचित लेखा प्रविष्टियां करेंगे।
- (xiii) संबंधित राज्य लेखा प्राधिकारी और महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन मिलने के समय समुचित लेखा प्रविष्टियां करेंगे।

(घ) मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गई सूचियों के संबंध में किसी भी विसंगति के समाधान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) प्रत्येक माह के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रदत्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य कर नोडल प्राधिकारी माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त संदाय, आवक कर प्रत्यय क्रॉस-उपयोग, रिवर्सल और उनकी घोषणाओं तथा प्रभाजन विवरणों का मिलान करेंगे, और जहां उक्त रिपोर्टों के संबंध में कोई विसंगति देखी जाती है, वहां संबंधित नोडल प्राधिकारी उक्त विसंगति के संबंध में अपनी निष्कर्षों को माल और सेवा कर नेटवर्क को सूचित करेगा, जिसमें अपने निष्कर्षों के समर्थन में एक विस्तृत स्पष्टीकरण, आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हों, जो उक्त मामले से संबंधित हों, जहां तक संभव हो, उस महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर जिसमें रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

(ii) उप-खंड (i) में उल्लिखित संसूचना, निष्कर्ष, स्पष्टीकरण और साक्ष्य और दस्तावेजों की यथासंभव विस्तार से जांच और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उस महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर की जाएगी जिसमें उक्त संसूचना प्राप्त हुई है, और जहां स्पष्टीकरण जांच के अधीन मामले के संबंध में अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों से प्राप्त होता है, तो निपटान के लिए योग्य पाई गई कोई भी रकम उस अवधि के तुरंत पश्चात् की अवधि की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाएगी जिसमें जांच समाप्त हुई थी:

परंतु जहां रिपोर्ट से अपवर्जित रकम का केवल एक भाग ही जांच के अधीन मामले के संबंध में अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों से, यदि कोई हो, से प्राप्त होता है, तो केवल उतनी रकम, जितनी इस प्रकार प्राप्त होती है, को आगे की अवधि की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

[फा. सं. एस-31011/96/2025 -एसटी-1- डीओआर]

मुथुरामन सी., अवर सचिव

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.01

[नियम 4(क) देखें]

सीमा शुल्क प्राधिकरणों से मिली विवरणी और जानकारी से भिन्न, विवरणी के आधार पर केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निधि अंतरण का विवरण
[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह/ - सभी

(राशि रु. में)

क्रम सं.	माह	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित आईजीएसटी देयता (आईएसडी द्वारा अलग-अलग उपयोग क्रॉस यूटीलाइजेशन सहित) (1.02)	आईजीएसटी आईटीसी के विरुद्ध समायोजित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता (1.03)	अपंजीकृत यूनिट और ओआईडीएआर सेवाओं को आईएसडी वितरण सहित बी2सी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (1.04)	कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति/गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति/ टीजीएस की कटौती के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को की जाने वाली अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (1.05)	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा बी से बी पर एकत्रित आपूर्ति (आयात सहित) जहां आईटीसी अपात्र घोषित किया गया है , जिसमें व्यपगत आईटीसी भी शामिल है कंपोजिशन स्कीम चुनने और रद्दीकरण आवेदन या अंतिम विवरणी के साथ भुगतान किए गए कर का संदाय करने के कारण (1.06)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

<p>बी टू बी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (आयात सहित) जिसमें आईटीसी विनिर्दिष्ट अवधि तक अनुपयोगित ही रहता है।</p> <p>(1.07)</p>	<p>अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा संग्रहीत आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग</p> <p>(1.08)</p>	<p>एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का हिस्सा कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति/यूआईएन होल्डर/वे व्यक्ति जो रिवर्स कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिवर्तित प्रभार के लिए दायी आवक आपूर्ति के लिए टीडीएस और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा काटने के लिए पंजीकृत हैं, द्वारा आयातित</p> <p>(1.09)</p>	<p>आईजीएसटी/अग्रिम विनिर्णय के लिए जमा किए गए शुल्क पर किए गए विवरणी से संबंधित ब्याज का आईजीएसटी यूटीजीएसटी भाग</p> <p>(1.10)</p>	<p>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केंद्र को संदेय (-)/केंद्र से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्य (+) निवल राशि [कॉलम 4 से 11 का योग] - कॉलम 3]</p>
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
घरेलू लेनदेन के कारण	आयात के कारण			

टिप्पणी – सूची रिपोर्ट में परिवर्तन के कारण होने वाले पारिणामिक परिवर्तन।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.02

[नियम 4(ख)(i) देखें]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी और सीजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी देयता को समायोजित किया है (1.01 और 2.01 के कॉलम 3 के लिए)

[सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, यदि उपलब्ध न हो)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी के अलावा)	एआरएन/आईजीएसटी मांग	कर विवरणी अवधि	सीजीएसटी आईटीसी से भुगतान किया गया आईजीएसटी	एसजीएसटी/ संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी आईटीसी से आईजीएसटी का भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

टिप्पणी: 1. विवरणी के अलावा दूसरे कामों के लिए क्रेडिट का क्रास यूटीलाइजेशन होने पर, संदर्भ संख्या बताई जाएगी।

2. एआरएन से विवरणी की प्राप्ति संदर्भ संख्या निर्दिष्ट है।

टिप्पणी – वर्तमान में अवैध विवरणी को दाखिल नहीं किया जा रहा है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.03

[नियम 4(ब)(ii) देखें]

आईजीएसटी के आईटीसी से एसजीएसटी/यूटीजीएसटी को समायोजित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची (1.01 के कॉलम 4 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी के अलावा)	एआरएन/ एसजीएसटी/यूटीजीएसटी मांग	एआरएन	कर विवरणी अवधि	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईजीएसटी आईटीसी से भुगतान किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

टिप्पणी: विवरणी के अलावा दूसरे कामों के लिए क्रेडिट का क्रास यूटीलाइजेशन होने पर, संदर्भ संख्या बताई जाएगी।

टिप्पणी - अभी अवैध विवरणी को दाखिल नहीं किया जा रहा है। अंतिम कॉलम (सीजीएसटी) रिपोर्ट नंबर 2.02 का हिस्सा है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.04

[नियम 4(ख)(iii)(क) देखें]

आईएसडी वितरण समेत अंतर्राज्य आपूर्ति की है (अपंजीकृत लोगों को दी गई ओआईडीएआर सेवा सहित) (1.01 और 2.01 के कॉलम 5 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	आपूर्ति की श्रेणी	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, अगर उपलब्ध नहीं तो)	एआरए न	कर विवरणी अवधि	आईजीएसटी भुगतान	एसजीएसटी/आईजीएसटी का संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी हिस्सा	सीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
योग									

टिप्पणी: कॉलम (4) निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाएगा:

श्रेणी क: अपंजीकृत लोगों को दी गई अंतर्राज्य आपूर्ति (क्रेडिट/डेबिट टिप्पणी हटाकर) या अपंजीकृत यूनिट्स को बांटी गई आईएसडी आपूर्ति

श्रेणी ख: देश के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा अपंजीकृत लोगों को दी जाने वाली ओआईडीएआर सेवा से जुड़ी जानकारी।

टिप्पणी - श्रेणी ग से घ मौजूदा विवरणी फाइलिंग प्रक्रिया में सुसंगत नहीं हैं।

टिप्पणी: कॉलम 5 में ये श्रेणियाँ होंगी:

- (a) श्रेणी क: कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति,*
- (b) श्रेणी ख: गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति*
- (c) श्रेणी ग: यूआईएन होल्डर जिन्होंने वापसी दावा नहीं किया है और टाइम समयावधि समाप्त हो गई है, और*
- (d) श्रेणी घ: टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत व्यक्ति*

टिप्पणी – यूआईएन धारकों को की जाने वाली आपूर्तियों का निपटारा नहीं हो पाता है क्योंकि वे वापसी का दावा करते हैं। कटौतीकर्ता या ई-कॉमर्स आपरेटर्स को की जाने वाली आपूर्तियों का भी निपटारा किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी:

1. आईटीसी का दावा करने और उसे उलटने के लिए सुसंगत धारा - सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और 18 (4)।

2. कॉलम 3 की श्रेणियाँ निम्नानुसार होंगी:

- श्रेणी क: वह सप्लाई जिसके लिए आईटीसी पात्र नहीं है।
- श्रेणी ख: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसार कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने के कारण आईटीसी व्यपगत हो गया।
- श्रेणी ग: पंजीकरण रद्द होने की वजह से आईटीसी व्यपगत हो गया: रद्दीकरण आवेदन या अंतिम विवरणी फाइल करने के साथ भुगतान किया गया कर।
- श्रेणी घ: धारा 16(4) के अधीन सीमा के कारण आईटीसी स्वीकार्य नहीं है।

टिप्पणी – रद्दीकरण या अंतिम विवरणी के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय करदाताओं द्वारा आईजीएसटी मद के अधीन भुगतान किया गया कर का निपटान किया जाना चाहिए।

पंजीकरण होने पर आईटीसी व्यपगत नहीं होता है।

उप-योग (भाग ख)							
योग योग (क+ख)							

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में उन प्राप्तकर्ता कर योग्य व्यक्तियों का विवरण शामिल होगा जिन्होंने विवरणी फाइल किया है लेकिन सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) में प्रदान की गई विनिर्दिष्ट अवधि तक आईटीसी का लाभ नहीं उठाया है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.08
[नियम 4(ख)(iii)(ड.) देखें]

उन अपंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने माल का आयात किया है (1.01 और 2.01 के कॉलम 9 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: बिल ऑफ एंट्री)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	अपंजीकृत व्यक्ति का नाम	आईईसी	पता	ब्याज सहित भुगतान किया गया आईजीएसटी, यदि कोई है	आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त व्यक्तियों का विवरण, यदि उपलब्ध करवाया गया हो तो, शामिल होगा।

स्रोत: सीमा शुल्क प्राधिकारियों से आयात डाटा।

टिप्पणी:

1) इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाले आयातित माल की जानकारी शामिल होगी।

2) सेवाओं के आयात के आकड़ों विवरणी में की गई घोषणा के अनुसार होंगे।

3) कॉलम 4 में निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी:

(ए) श्रेणी क: कम्पोजिशन कर योग्य लोगों द्वारा माल का आयात,

(बी) श्रेणी ख: यूआईएन होल्डर्स द्वारा माल का आयात और तय समय के भीतर वापसी दावा न करना,

(सी) श्रेणी ग: टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत लोगों द्वारा माल का आयात, और

(डी) श्रेणी घ: अंतर्राज्य आवक आपूर्ति जो कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को मिलती है, जिस पर उलटा प्रभार लगता है।

टिप्पणी – एनआरटीपी द्वारा की गई आरसीएम आपूर्तियों से संबंधित सूचना को हाल ही में जीएसटीआर-5 में शामिल किया गया है। कंपोजीशन करदाताओं द्वारा की गई सेवाओं के आयात का भी निपटारा किया जाता है।

टिप्पणी:

- 1) ब्याज का वितरण प्राप्तकर्ता राज्यों के बीच किया जाएगा।
- 2) आईजीएसटी के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय आवेदन फाइल करने के लिए जमा की गई फीस शुल्क संबंधित राज्यों को वितरित की जाएगी।

टिप्पणी – अब आईजीएसटी शीर्ष के अधीन अग्रिम फीस भी दी जा रही है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 2.01**[नियम 5(क) देखें]**

सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त विवरणी और सूचना के अलावा, विवरणी के आधार पर सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बही समायोजन।

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएसटी देयता को सीजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित किया (आईएसडी द्वारा (परस्पर उपयोग सहित) (1.02)	आईजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित सीजीएसटी देयता (2.02)	बी2सी आपूर्ति पर इकट्ठा किया गया आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा, जिसमें अपंजीकृत यूनिट को आईएसडी वितरण और ओआईडीएआर सेवाएं शामिल हैं (1.04)	कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति / अनिवासी कर योग्य व्यक्ति / यूआईएन होल्डर्स / टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा (1.05)	बी टू बी आपूर्ति (आयात सहित) पर इकट्ठा किया गया आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा, जहाँ आईटीसी को अयोग्य घोषित किया गया है, इसमें कंपोजिशन स्कीम चुनने के कारण से व्यपगत हुआ आईटीसी और रद्दीकरण आवेदन या अंतिम विवरणी के साथ चुकाया गया कर शामिल है। (1.06)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बी टू बी आपूर्ति (आयात सहित) पर संग्रहित आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा जहां आईटीसी बकाया निर्दिष्ट अवधि तक अप्रयुक्त है। (1.07)	अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आयातित आपूर्ति पर एकत्रित आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग (1.08)	कंपोजिशन कर योग्य व्यक्तियों/ यूआईएन धारकों/ टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत लोगों द्वारा आयात की गई आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा और कंपोजिशन कर योग्य लोगों और अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों द्वारा मिली उलटा प्रभार वाली आवक आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा (1.09)	सीजीएसटी आईजीएसटी पर दिए गए विवरणी से जुड़े ब्याज का हिस्सा / अग्रिम विनिर्णय के लिए जमा की गई फीस (1.10)	निवल राशि केंद्रीय कर खाते द्वारा आईजीएसटी को देय (-) कर प्राप्य खाता (+) आईजीएसटी खाते से केंद्रीय कर खाता [कॉलम 4 से 11 का योग] 11 - कॉलम 3]
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
घरेलू लेनदेन के कारण	आयात के कारण			

टिप्पणी – परिणामी परिवर्तन।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 2.02

[नियम 5(ख) देखें]

पंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने सीजीएसटी देयता को आईटीसी या आईजीएसटी से समायोजित किया है (2.01 के कॉलम 4 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18(क)]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, यदि उपलब्ध न हो)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी से भिन्न)	एआरएन/ मांग	विवरणी कर अवधि	आईजीएसटी आईटीसी से भुगतान किया गया सीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

टिप्पणी: विवरणी से भिन्न दूसरे प्रयोज्यों के लिए क्रेडिट के क्रास यूटीलाइजेशन के मामले में, मांग का एआरएन बताया जाएगा।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 03.01

[नियम 6(क) देखें]

अपील फाइल करते समय भुगतान की गई मांग और जमा की गई मानी गई राशि के बदले वसूल की गई आईजीएसटी राशि का वितरण
[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित की जाने वाली आईजीएसटी राशि की श्रेणी	अपील दाखिल करते समय वसूली गयी या जमा की गई आईजीएसटी राशि					आवंटित राशि	
			कर	ब्याज	शास्ति	चक्रवृद्धि राशि	योग	आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		योग							

टिप्पणी:

- 1) सुसंगत धारा: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73, 74, 74क, 128क, 79, 129, 107(6), 112(8) तथा अन्य सुसंगत धाराएं।
- 2) ऊपर कॉलम 3 में बताई गई श्रेणी निम्नानुसार होगी:

(a) श्रेणी क : मांग पर वसूली गई आईजीएसटी राशि, और

(b) श्रेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 107, 112 के अधीन अपील फाइल करते समय जमा की गई आईजीएसटी राशि।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 3.02

[नियम 6(ख) देखें]

उन पंजीकृत लोगों की सूची जिनसे मांग के अनुसार आईजीएसटी धनराशि वसूली गयी और अपील फाइल करते समय जमा की गई मानी गई राशि
(स्रोत: फॉर्म: डीआरसी-03, डीआरसी-3क, डीआरसी-07/डीआरसी-08, एपीएल-01, एपीएल-04)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध न हो तो विधिक नाम)	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आईजीएसटी राशि की श्रेणी वितरित किया जाना	नकद बहीखाते की डेबिट प्रविष्टि	क्रेडिट बही खाते की डेबिट प्रविष्टि	आईजीएसटी शीर्ष के अधीन वसूली या अपील फाइल करते समय जमा की गई मानी गई राशि				आवंटित राशि	
								कर	ब्याज	शास्ति	योग	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
योग													

टिप्पणी:

1) सुसंगत धारा: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73, 74, 74क, 128क, 79, 129, 107(6), 112(8) तथा अन्य सुसंगत धाराएं।

2) ऊपर कॉलम 6 में बताई गई श्रेणी निम्नानुसार होगी:

(क) श्रेणी क : मांग पर वसूली गई आईजीएसटी राशि, और

(ख) श्रेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 107, 112 के अधीन अपील फाइल करते समय जमा की गई आईजीएसटी राशि।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.01

[नियम 7(क) देखें]

आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति निर्धारित नहीं हो सका

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जहां पीओएस ज्ञात नहीं है वहां आईजीएसटी का वितरण		आईजीएसटी का वितरण जहां कर योग्य व्यक्ति ज्ञात नहीं है		कुल वितरित राशि	
	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	सीजीएसटी भाग	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	सीजीएसटी भाग	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	सीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.02

[नियम 7(ख) देखें]

कर योग्य लोगों की सूची जिनसे आईजीएसटी संग्रह किया गया है और आपूर्ति का स्थान ज्ञात नहीं है (4.01 के कॉलम 2 और 3 के लिए)
[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

- a) आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन
b) वितरित की जाने वाली आईजीएसटी की राशि.....
c) (ख) में वर्णित राशि में से सीजीएसटी भाग.....
d) बाकी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बी सी) में वितरित की जाएगी.....

(राशि रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें पूर्ववर्ती अवधि में आपूर्ति की गई थी	राज्य को की गई आपूर्ति की राशि	आपूर्ति का अनुपात	आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योग				

टिप्पणी: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वितरण उसी अनुपात में किया जाना है जिस अनुपात में प्रत्येक राज्य को आपूर्ति की गई थी।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.03

[नियम 7(ग) देखें]

आईजीएसटी का वितरण जो तब एकत्रित किया गया है जब कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं है (4.01 के कॉलम 4 और 5 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

क) वितरित की जाने वाली आईजीएसटी की राशि.....

ख) (क)में उल्लिखित राशि में से सीजीएसटी भाग.....

ग) बाकी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (क-ख) में वितरित की जाएगी

(राशि रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष में एकत्रित कर की राशि	एकत्रित कर का अनुपात	आईजीएसटी का एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी भाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योग				

*टिप्पणी: वितरण पूर्ववर्ती वर्ष के कर संग्रहण के अनुपात में किया जाना है।***टिप्पणी-** सभी आवश्यक फॉर्मों में पीओएस आवश्यक है। पीओएस के बिना कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाएगा।**टिप्पणी -** यह सुसंगत नहीं है क्योंकि अस्थायी आईडी या जीएसटीआईएन अनिवार्य है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.01

[नियम 8(2)(ए) देखें]

राज्य-वार समेकित विवरण जिसमें एक सारांश दिखाया गया है, जिसमें करदाता द्वारा चुकाया गया एकत्रित कर पहले ही प्रभावित कर दिया गया है, लेकिन बाद में सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी अधिनियम के अलग-अलग के कारण करदाता की एकत्रित कर देयता कम हो गई है, जिससे केंद्र (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर)/केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र कर) को सेटल की गई राशि में कमी आई है।

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	विवरण	राशि में कमी	
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	सीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंतर्राज्य आवक पूर्ति आपूर्ति के कारण बांटी गई राशि जिसके लिए आईटीसी को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन अब वह योग्य हो गई है। (ब्यौरा एसटीएल 5.02 से आ रहा है)		
2.	बकाया राशि की वसूली के लिए बांटी गई राशि और बाद में अपील आदेश के कारण ब्याज के साथ वापस कर दी गई राशि (ब्यौरा एसटीएल 5.03 से आ रहा है)		

3.	कमी के कारण – पहले से आवंटित राशि की वापसी में सुधार के अतिरिक्त कोई अन्य कारण (ब्यौरा एसटीएल 5.04 से आ रहा है)		
	योग		

टिप्पणी – अभी के विवरणी प्रक्रिया में, क्रम सं. 1 से 5 के लिए कोई डेटा स्रोत नहीं है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.03

[नियम 8(2)(ख)(ii) देखें]

(5.01 के क्रम सं.2 के लिए)

बकाया शोध की वसूली के कारण कटौती और बाद में अपील आदेश और उस पर ब्याज के कारण वापसी
(करदाताओं की सूची)

(स्रोत: फॉर्म: डीआरसी-03, डीआरसी-03क, डीआरसी-07, डीआरसी-08, एपीएल-01, एपीएल-04)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	मांग आदेश संख्या	अनुरोध आदेश तारीख	अपील आदेश संख्या	अपील आदेश की तारीख	अपील आदेश के कारण बकाया राशि वापस की गयी	एसजीएसटी/आईजीएसटी का संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी भाग	आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा	धनवापसी के कारण देय ब्याज की राशि (कॉलम 8)	एसजीएसटी/आईजीएसटी का संघ राज्यक्षेत्र जीएसटी भाग	आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
योग												

टिप्पणी : सुसंगत धारा - सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79, 107, 112, 117 और 118 के साथ-साथ सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 50

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.04

[नियम 8(2)(ख)(iii) देखें]

(5.01 के क्रम सं.3 के लिए)

पंजीकृत करदाताओं की सूची जिनसे गलत तरीके से तय की गई राशि वसूल की गई है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन/यू आईएन	व्यापार नाम (विधिक नाम, (यदि उपलब्ध न हो)	एआरएन	एआरएन की कर अवधि	पहले से तय राशि की वसूली	एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा	आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योग							

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 7.01

[नियम 10(1) देखें]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	विवरण	जमा राशि	विकलित राशि	शुद्ध निपटान राशि
1.	केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवरणी और अन्य से जुड़े खातों का निपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)			
2.	वसूल की गई आईजीएसटी राशि और स्वीकार की गई राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)			
3.	आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं चल सका (एसटीएल 4.01)			
4.	अपील में शामिल राशि की वापसी या किसी और वजह से पहले से वितरित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)			
	योग			

टिप्पणियाँ – परिणामी परिवर्तन

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 7.02

[नियम 10(2) देखें]

केंद्र के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सभी-

वर्ष -

माह -

(राशि रु. में)

क्रम सं.	विवरण	जमा राशि	विकलित राशि	कुल देय राशि
1.	विवरणी से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच समायोजित बही (एसटीएल 2.01)			
2.	वसूल की गई आईजीएसटी राशि और स्वीकार की गई राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)			
3.	आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं चल सका (एसटीएल 4.01)			
4.	अपील में शामिल राशि की वापसी या किसी और कारण से पहले से वितरित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)			
	योग			

टिप्पणियाँ – परिणामी परिवर्तन**टिप्पणी:**

- 1) सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 के अधीन, एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी, सीजीएसटी और इसके विपरीत, आईजीएसटी के जमा के क्रॉस यूटीलाइजेशन पर केंद्र और राज्यों के बीच निधि का निपटान विवरणी फाइल करने के पश्चात् किया जाएगा।
- 2) आईजीएसटी का वितरण कर योग्य व्यक्ति के फाइल की गई विवरणी के आधार पर किया जाएगा।

- 3) आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 के अधीन, माल के आयात पर लगने वाले आईजीएसटी का वितरण सीमा शुल्क प्राधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर किया जाएगा।
- 4) नामे डाले जाने संबंधी टिप्पणी जारी होने के कारण जमा हुई आईजीएसटी राशि का वितरण मूल सारणी में किया जाएगा।
- 5) माह उस महीने को दिखाता है जिसमें वितरण किया जा रहा है
- 6) कर अवधि वह समय होता है जिससे विवरणी या सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा दी गई जानकारी जुड़ी होती है।
- 7) एआरएन, आवेदन संदर्भ संख्या निर्दिष्ट करता है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.01

[नियम 9 (ख) (i) देखें]

वापसी से की गई वसूली और नकदी बही के शीर्षों के बीच राशि के अंतरण के कारण केंद्र और राज्य के बीच निधियों का समायोजन।

राज्य –

वर्ष –

माह –

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	(-) से अंतरित राशि		(+) में अंतरित राशि			
		मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वापसी से वसूली (6.02)	आईजीएसटी					
		सीजीएसटी					
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी					
		उपकर					
2.	नकदी बही से अंतरण (6.03)	आईजीएसटी					
		सीजीएसटी					
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी					
		उपकर					
3.	योग (1+2)	आईजीएसटी					
		सीजीएसटी					
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी					
		उपकर					

4.	अंतरण की जाने वाली कुल राशि (+) / (-)	आईजीएसटी से सीजीएसटी					
		आईजीएसटी से एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी					
		आईजीएसटी से उपकर					
		सीजीएसटी से एसजीएसटी/यूटीजीएसटी					
		सीजीएसटी से उपकर					
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी से उपकर					

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.02

[नियम 9(ख)(i)(क) देखें]

उन करदाताओं की सूची जिनसे वापसी, वसूली की गई है

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-06)

राज्य -

वर्ष -

मास -

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआई एन / अस्थायी आईडी	मांग आदेश क्रमांक	मांग आदेश की तारीख	वापसी आदेश सं:	वापसी आदेश की तारीख	मंजूर की गई वापसी में से अंतरित राशि (-)		अंतरित राशि (की गई रिकवरी) (+)			
						मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजी एसटी	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						आईजीएसटी					
						सीजीएसटी					
						एसजीएसटी/यूटीजीएसटी					
						उपकर					
	योग					आईजीएसटी					
						सीजीएसटी					
						एसजीएसटी / यूटीजीएसटी					
						उपकर					

		सीजीए सटी से उपकर			
		एसजी एसटी/ यूटीजी एसटी से उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.03

[नियम 9(ख)(i)(ख) देखें]

उन करदाताओं की सूची जिन्होंने नकदी बही में राशि का अंतर्शीर्ष अंतरण किया है

(स्रोत: फॉर्म: पीएमटी-09)

राज्य -

वर्ष -

मास -

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटी आईएन / अस्थायी आईडी	एआरएन	एआरएन की तारीख	(-) से अंतरित राशि		(+) में अंतरित राशि			
				मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				आईजीएसटी					
				सीजीएसटी					
				एसजीएसटी / यूटीजीएसटी					
				उपकर					
	योग			आईजीएसटी					
				सीजीएसटी					
				एसजीएसटी / यूटीजीएसटी					
				उपकर					

		टी (एमए च000 6/000 7)	ओ																					
		उपकर (एमए च 0009)	टी																					
			आई																					
			पी																					
			एफ																					
ओ																								
2	अंत रित की जाने वाली योग राशि (+)/(-)	आईजी एसटी से सीजी एसटी																						
		आईजी एसटी से एसजी एसटी/ संघ राज्य क्षेत्रजी एसटी																						
		आईजी एसटी से उपकर																						
		सीजी एसटी से एसजी एसटी/																						

		यूटीजी एसटी			
		सीजी एसटी से उपकर			
		एसजी एसटी/ यूटीजी एसटी से उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.04

[नियम 9(ख)(ii) देखें]

केंद्र द्वारा जारी एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी के अधीन वापसी का सारांश

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-05)

वर्ष -
माह-

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	जारी किए गए वापसी की राशि (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.04क

[नियम 9(ख)(ii) देखें]

उन करदाताओं की सूची जिनका एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी के अधीन वापसी केंद्र ने जारी कर दिया है

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-05)

राज्य –

वर्ष –

मास –

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन अस्थायी आईडी	/	संव्यवहार आईडी (पीएफएमएस)	संव्यवहार तारीख (पीएफएमएस)	संदर्भ संख्या (आरएफडी-05)	जारी करने की तारीख (आरएफडी-05)	केंद्र द्वारा वितरित एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी वापसी की राशि
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	योग						

टिप्पणी: रिपोर्ट इस फॉर्म में अलग से बनाई जाती है और डीओआर को भेजी जाती है, लेकिन यह निपटान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 read with sections 53 and 53A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sections 17, 17A, 18 and 22 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in supersession of the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government on the recommendation of the GST Council hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2026.

(2) They shall be deemed to come into force with effect from 1st day of April, 2025.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (1) (a) “Authorities” means the Board, State Tax Nodal Authority, Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Indirect Taxes and Customs and State Accounting Authorities of the respective States;
- (b) “Board” means the Central Board of Indirect Taxes and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
- (c) “cross utilisation of credit” means utilisation of-
- (i) credit on account of Integrated Tax for payment of Central Tax or State Tax or Union Territory Tax; or
- (ii) credit on account of Central Tax or State Tax or Union Territory Tax for payment of Integrated Tax, in accordance with the provisions of sections 49 or 49A or 49B of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with the provisions of sections 49 or 49A or 49B of the concerned State Goods and Services Tax Act, 2017 or section 9 or 9A or 9B of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) or section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, as the case may be;
- (d) “Government” means the Central Government;
- (e) “input tax credit” means the credit of input tax;
- (f) “registered person” means a person who is registered under section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, but does not include a person having a Unique Identity Number;
- (g) “reports” means any report specified or otherwise required to be furnished by or under these rules;
- (h) “State Accounting Authority” means Accounting Authority of any State notified as such by the concerned State Government;

- (i) “State Tax Nodal Authority” means the Taxation Authority of any State notified as such by the concerned State Government.
- (2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the concerned State Goods and Services Tax Act, 2017, the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the Union Territories of Goods and Services Tax Act, 2017 or in the rules made under any of the said Acts or the aforesaid rules as the case may be.

3. Electronic transmission of reports.— The common portal shall transmit reports electronically to the Authorities by the 25th of the month in which Goods and Services Tax returns are furnished:

Provided that if 25th of the month is a holiday, then the reports shall be transmitted by the first working day after the holiday:

Provided further that if the date of filing of return is extended, then the date of generation of settlement report shall stand extended accordingly.

4. Report of cross-utilisation and apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Central (Integrated Tax) and Centre (Union Territory Tax).— The details relating to the transfer of funds between Centre (Integrated Tax) and State (State Tax) or Centre (Integrated Tax) and Centre (Union Territory Tax) to be made in a month shall be transmitted by the common portal to the Authorities, in **FORMS GST STL - 1.01 to GST STL - 1.12**, for each State and Union Territory, as follows, namely:—

- (a) a monthly consolidated statement for each State in **FORM GST STL - 1.01** containing the details referred to in clause (b) relating to the total amount to be transferred—
- (i) from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax) or from the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax) to the Centre (Integrated Tax) on account of cross-utilisation of credit as provided in section 53 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, section 53 of the Goods and Services Tax Act of the concerned State (hereinafter referred to as State Goods and Services Tax Act), section 10 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;
- (ii) from the Centre (Integrated Tax) to the State (State Tax) or the Centre (Union Territory Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.
- (b) the monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in **FORM GST STL - 1.01** are as under, namely:—

- (i) list of registered persons of the State or Union Territory who have discharged liability of Integrated Tax by utilising the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax or Central Tax, in accordance with section 53 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or section 53 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 or section 10 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (including cross utilisation by Input Service Distributor), as the case may be, shall be in **FORM GST STL – 1.02**.

Note: The summary of Integrated Tax liability discharged by using the input tax credit of Central Tax and that discharged by using the input tax credit of State Tax or Union Territory Tax shall be reflected in column (3) of both **FORM GST STL - 2.01** and **FORM GST STL - 1.01** respectively;

- (ii) list of registered persons of the State or Union Territory who have discharged liability of State Tax or Union Territory Tax, as the case may be, from the input tax credit of Integrated Tax, as provided under section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be in **FORM GST STL – 1.03**.

Note: The summary of liability on account of State Tax/Union Territory Tax discharged from the input tax credit of the Integrated Tax shall be reflected in column (4) of **FORM GST STL - 1.01**.

- (iii) list of registered persons or unregistered persons who have paid Integrated Tax under the following circumstances and which is required to be apportioned as per the provisions of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be as under:-

(A) list of registered persons of a State or Union Territory-,

(I) who have made outward inter-State supply, including distribution of credit by an Input Service Distributor, to unregistered persons or units of another State or Union Territory; or

(II) who have provided online information and database access and retrieval services to unregistered persons of another State or Union territory; or

(III) who have made supplies to SEZ on payment of tax but the refund of the same has not been claimed within the relevant period specified in section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the respective State Goods and Services Tax Act, 2017, or the claim of refund has been rejected, either fully or partially; or

(IV) who have made the exports on payment of tax, but the claim of refund has been rejected, either fully or partially, shall be in **FORM GST STL – 1.04**.

Explanation.- The list specified at clause III or clause IV shall be prepared after taking into consideration the integrated tax paid as may be ascertained on the basis of a Standard Operating Procedure formulated in this behalf.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (5) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(B) list of registered persons of a State or Union Territory who have made outward inter-State supplies to,-

(I) a person paying tax under section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or to Non-resident taxable persons; or

(II) persons registered under section 51 or section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 of another State or Union Territory; or

(III) such holders of Unique Identification Number who have not claimed refund of the input tax within the time allowed in this regard,

shall be in **FORM GST STL – 1.05**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (6) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(C) list of registered persons of a State or Union Territory who have received inter-State inward supplies or have effected imports in respect of which the input tax credit,-

(I) has been declared as ineligible; or

(II) has lapsed due to opting into composition scheme or where the supply has become wholly exempt, as provided for in sub-section (4) of section 18 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and sub-section (4) of section 18 of the respective State Goods and Services Tax Act read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; or

(III) availed in respect of inputs (whether as such or contained in semi-finished or finished goods) or capital goods lying in stock on the day immediately preceding the date of cancellation of registration where the said tax has been paid along with the application for cancellation registration, in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 29 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, sub-section (5) of section 29 of the respective State Goods and Services Tax Act, read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; or

(IV) tax of the nature specified in sub-item (III.) above that has been paid along with the final return;

(V) where input tax credit is not available, on account of limitation of time period as delineated in sub-section (4) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017,

shall be reflected in **FORM GST STL – 1.06**:

Provided that the said report in FORM GST STL -1.06 shall be prepared after taking into consideration amounts in respect of such reversals or utilisations of input tax credit as may be ascertained on the basis of a Standard Operating Procedure formulated in this behalf.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (7) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(D) list of registered persons of a State or Union Territory who have received inter-State inward supplies or have effected imports in respect of which the input tax credit remains un-availed till the period specified in clause (c) or clause (f) of sub-section (1) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall, with effect from such date as may be notified in this behalf, shall be reflected in **FORM GST STL – 1.07**:

Provided that the said report in FORM GST STL -1.07 shall be prepared after taking into consideration amounts in respect of such declarations of input tax credit as may be ascertained on the basis of a Standard Operating Procedure formulated in this behalf.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (8) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(E) list of unregistered persons who have made imports in the concerned State or Union Territory, in terms of clause (d) of sub-section (1) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be reflected in **FORM GST STL – 1.08**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (9) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(F) list of,-

(I) composition taxpayers who have received supplies by way of imports on which Integrated Tax has been paid; or

(II) Unique Identification Number holders who have received supplies by way of imports on which Integrated Tax has been paid and who have not claimed refund within the time period specified in this regard; or

(III) persons registered under section 51 or 52 of the Act in a State or Union Territory who have received supplies by way of imports on which Integrated Tax has been paid;
or

(IV) composition taxpayers or non-resident taxable persons who have received inward inter-State supplies that are liable to reverse charge,

shall be reflected in **FORM GST STL – 1.09**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (10) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively;

(G) list of registered persons in a State or Union Territory who have paid interest on Integrated Tax, and fee deposited for filing advance ruling application under Integrated Goods and Services Tax shall be reflected in **FORM GST STL – 1.12**.

Note: The summary of Integrated Tax to be apportioned as State Tax or Union Territory Tax and Central Tax from this statement shall be reflected in column (11) of both **FORM GST STL - 1.01** and **FORM GST STL - 2.01**, respectively.

5. Report of cross-utilisation and apportionment of Integrated Tax between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax).— The details relating to the transfer of funds between Centre (Integrated Tax) and Centre (Central Tax) to be made in a month shall be transmitted by the common portal to the Authorities in **FORMS GST STL - 2.01 to GST STL – 2.02**, as follows, namely:—

- (a) a monthly consolidated statement containing State-wise details in **FORM GST STL – 2.01** containing details relating to the total amount to be transferred,-
- (i) from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax), or from the Centre (Central Tax) to the Centre (Integrated Tax), as the case may be, on account of cross-utilisation of credit as provided for in section 53 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; and
- (ii) from the Centre (Integrated Tax) to the Centre (Central Tax) on account of apportionment as provided for in section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;
- (b) monthly reports containing State-wise details containing list of registered persons who have discharged liability of Central Tax by utilising the input tax credit of Integrated Tax, in accordance with the provisions of section 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be in **FORM GST STL – 2.02**.

Note: The summary of the liability of Central Tax discharged by utilising the credit of Integrated Tax shall be reflected in column (4) of **FORM GST STL - 2.01** and the summary of Integrated Tax liability discharged by utilising credit of Central Tax shall be reflected in column (3) of **FORM GST STL - 2.01**.

6. Report relating to apportionment of Integrated Tax recovered against demand and admitted amount deposited at the time of filing appeal, between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).— The details relating to recoveries of Integrated Tax and interest and penalty thereon on the basis of a demand order, or admitted amount deposited at the time of filing appeal or the compounding amount to be made in month shall be transmitted by the common portal to the Authorities in **FORMS GST STL - 3.01 to GST STL – 3.02**, as follows, namely:—

- (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of amount recovered as Integrated Tax, and the interest and penalty thereon, or admitted amount deposited at the time of filing appeal or the compounding amount, to be apportioned to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), shall be in **FORM GST STL - 3.01**;
- (b) list of registered persons in a State or Union Territory from whom recovery of Integrated Tax has been made with interest and penalty thereon, or admitted amount of Integrated Tax deposited at the time of filing appeal or the compounding amount, shall be in **FORM GST STL - 3.02**.

Note 1: The admitted amount of Integrated Tax deposited at the time of filing an appeal shall be reflected in the report for the period during which the concerned appeal is filed.

Note 2: The recoveries of Integrated Tax and the interest and penalty thereon on the basis of a demand order shall be reflected in the period during which the amount is recovered in full.

7. Report relating to apportionment of Integrated Tax amount, where place of supply could not be determined or taxable person making such supply is not identifiable, between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax).— The details relating to the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or to Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), to be made in a month shall be transmitted by the common portal to the Authorities in **FORMS GST STL - 4.01 to GST STL – 4.03**, for each State and Union Territory, as follows, namely:—

- (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary of the apportionment of Integrated Tax to State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), and to Centre (Central Tax), in a particular month relating to Integrated Tax collected in respect of which place of supply could

not be determined or the taxable person making such supplies is not identifiable, as provided under the proviso to sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be in **FORM GST STL - 4.01**;

- (b) list of registered persons from whom Integrated Tax has been collected in respect of which place of supply made by taxable person could not be determined, and is to be apportioned as provided under first proviso to sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be in **FORM GST STL - 4.02**;

Explanation:- The list of registered persons of a State or Union Territory who have made exports but the refund of the same has not been claimed within the relevant period prescribed in section 54 or the claim of the refund has been rejected, either fully or partially, on any ground other than the reason specified in rule 4(b)(iii)(A)(III) or 4(b)(iii)(A)(IV) above, shall be included in the report in FORM STL - 4.02.

- (c) the details of Integrated Tax collected in respect of which the taxable person making the underlying supplies is not identifiable, and is to be apportioned as provided under second proviso to sub-section (2) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall be in **FORM GST STL - 4.03** and this shall be an annual report to be submitted in October each year.

8. Report relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) due to Integrated Tax apportioned earlier but subsequently refunded.— (1) The details relating to reduction of amount to be apportioned to Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), to be made in a month shall be transmitted by the common portal to the Authorities, in FORMS GST STL - 5.01 to GST STL – 5.04, due to Integrated Tax apportioned earlier but-

- (a) subsequently refunded as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; or
- (b) ineligible credit on account of the said Integrated Tax apportioned earlier subsequently having become eligible in accordance with sub-section (1) of section 18 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 18 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State, section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

shall be in **FORMS GST STL - 5.01 to GST STL – 5.03** in the manner hereinafter provided.

- (2) (a) a monthly State-wise consolidated statement showing a summary wherein Integrated Tax paid by a taxpayer has already been apportioned but-

- (i) subsequently refunded to the person due to the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State or, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 leading to a reduction in amount to be apportioned to Centre (Central Tax) or State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax), in a particular month as provided for in sub-section (5) of section 17 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; **or**
- (ii) subsequently the ineligible credit in respect whereof having become eligible, as referred to in clause (b) of sub-rule (1) above,
shall be in **FORM GST STL - 5.01**;
- (b) monthly reports containing State-wise details pertaining to the information contained in **FORM GST STL – 5.01** shall be further provided as under, namely:—
- (i) list of registered taxpayers the Integrated Tax paid by whom and was apportioned earlier due to the underlying inter-State inward supplies for which input tax credit was ineligible previously but has now become eligible in accordance with sub-section (1) of section 18 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 18 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State, section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 leading to reduction of Integrated Tax shall be in **FORM GST STL - 5.02**.

Note: The summary of reduction in amount to be credited to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax shall be reflected at S.No.1 of **FORM GST STL - 5.01**;

- (ii) list of registered taxpayers where Integrated Tax recovered under section 79 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 and State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State (or section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017) or paid consequent to a demand raised by the proper officer is apportioned, and the amount so recovered is subsequently refunded pursuant to an appeal order, as provided under sections 107, 112, 113, 117 and 118 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017), or where the amount of Integrated Tax paid is subsequently refunded in terms of section 77 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the respective State Goods and Services Tax Act, 2017, as aforesaid, leading to reduction in Integrated Tax shall be in **FORM GST STL - 5.03**.

Note: The summary of reduction in amount to be debited to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax shall be reflected at S.No.2 of **FORM GST STL - 5.01**;

(iii) list of registered taxpayers where the liability of payment of Integrated Tax is reduced on account of any reason other than an amendment in the amount payable after the said payment has been made, on account of rectification of return as provided under sections 37, 38 and 39 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State (or section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017), where the excess Integrated Tax so paid has been apportioned, and the same is now required to be reduced from the Central Tax and State Tax or Union Territory Tax, shall be in **FORM GST STL - 5.04**.

Note 1: The summary of reduction in amount to be credited to State Tax or Union Territory Tax and Central Tax shall be reflected at S.No.3 of **FORM GST STL - 5.01**.

Note 2: Reduction on account of amendment of tax payable necessitated by rectification of any return is settled by netting off values in the return and hence what will remain in **FORM GST STL - 5.04** is the reduction in tax paid on account of any other reason only.

9. Report relating to recovery of various taxes from refunds and transfer of amount within cash ledger.— Report of settlement arising between Centre (Central Tax) and State (State Tax) or Centre (Union Territory Tax) or Centre (Cess) on account of, -

- (a) recovery of any tax, interest, penalty, fees or any other amount from refund, in terms of sub-section (10) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; and
- (b) transfer of amounts from one head of the electronic cash ledger of a registered person to another head of the said registered person or to the electronic cash ledger of another distinct person as specified in sub-section (10) of section 49 and section 53A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (10) of section 49 and section 53A of the State Goods and Services Tax Act, 2017 of the concerned State and section 17A of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017,

shall be transmitted by the common portal in **FORMS GST STL - 6.01 to GST STL - 6.05**, as follows, namely:—

- (i) summary of the amount recovered from the refund claimed by taxpayer and amount transferred from one head to another of the electronic cash ledger of the registered person or from one head to another of the electronic cash ledger of a distinct person shall be in **FORM GST STL - 6.01** and details provided as under;

- (A) list of taxpayers from whose refund amount of any liability has been recovered shall be in **FORM GST STL - 6.02** and major or minor head wise summary thereof shall be in **FORM GST STL - 6.02A**; and
- (B) list of taxpayers who have made inter head transfer of amount within cash ledger shall be in **FORM GST STL - 6.03** and major or minor head wise summary thereof shall be in **FORM GST STL - 6.03A** and State-wise summary shall be in **FORM GST STL - 6.05**;
- (ii) summary of refunds of State Tax or Union Territory Tax disbursed by the Centre shall be transmitted to the Central Government in **FORM GST STL -6.04** along with a taxpayer-wise list thereof in **Form GST STL - 6.04A**.

Note: **FORM GST STL - 6.04** is not part of the settlement process but the report is transmitted to the Department of Revenue.

- 10. Consolidated Settlement Report for each State and Union Territory and for Centre.**— (1) A monthly Consolidated Settlement Report for each State and Union Territory, in **FORM GST STL - 7.01** shall be maintained providing information about transfer of funds to be made from State Tax or Union Territory Tax account to Integrated Tax account and from Integrated Tax account to State Tax or Union Territory Tax account based on the consolidated summary of settlement details contained in **FORMs GST STL - 1.01, 3.01, 4.01 and 5.01**.
- (2) A monthly Consolidated Settlement Report for the Centre, in **FORM GST STL - 7.02** shall be maintained providing information about transfer of funds to be made from Central Tax account to Integrated Tax account and from Integrated Tax account to Central Tax account based on the consolidated summary of settlement details contained in **FORMs GST STL - 1.01, 2.01, 3.01, 4.01 and 5.01**.

11. Other provisions.— (1) The Principal Chief Controller of Accounts shall, on the receipt of above reports, calculate the net payment to be made from the Integrated Goods and Services Tax account to each State or *vice versa* and shall send to the Department of Revenue a State-wise summary of the same within three working days of receipt of the data from Goods and Services Tax Network and thereafter, based on receipt of this data, a provisional sanction order for the month shall be issued by the Department of Revenue as per the procedure specified in sub-rule (2).

(2) The procedure for resolution of any discrepancy in the data provided by Goods and Services Tax Network shall be as follows, namely:—

- (a) on the basis of the above reports provided by Goods and Services Tax Network for every month, the Central and respective State Accounting Authorities, the Board and the State Tax nodal

- authorities shall reconcile the details of the payments received, Input Tax Credit cross-utilisation, reversal and declarations thereof, and apportionment details received from Goods and Services Tax Network, and shall revert to Goods and Services Tax Network and Principal Chief Controller of Accounts in case of any discrepancy by the 20th of the subsequent month;
- (b) if any discrepancy is pointed out by the Central or State Accounting Authority or Taxation Authority within this period, the Goods and Services Tax Network shall look into it and prepare a Revised Calculation, if required and send it again to both the Central as well as State Accounting, Taxation Authorities and Principal Chief Controller of Accounts by 25th of the said subsequent month;
- (c) based on the revised calculation received from Goods and Services Tax Network and after having reconciled the discrepancy referred to in clauses (a) and (b), in case any changes have been made with respect to any State, the Principal Chief Controller of Accounts shall calculate the net payment to be made from Integrated Goods and Services Tax account to each State or *vice versa* and shall send to Department of Revenue a final State-wise summary of the same within three days of receipt of the revised data from Goods and Services Tax Network and based on receipt of this data a final sanction order for the month shall be issued by the Department of Revenue as per the following procedure namely:—
- (i) the Principal Chief Controller of Account shall send to Department of Revenue, Ministry of Finance the details of the State-wise fund settlement with States;
 - (ii) a designated officer in the Department of Revenue shall issue the sanction order of funds to be transferred from Integrated Goods and Services Tax account to each State or *vice versa* after obtaining necessary approvals of the competent authority;
 - (iii) the provisional sanction order for each month for each State shall be issued based on details issued by Principal Chief Controller of Accounts as per sub-rule (1);
 - (iv) the final sanction order for each month for each State, in case needed, shall be issued based on details issued by Principal Chief Controller of Accounts as per clause (b);
 - (v) the sanction orders shall be issued within three days of receipt of details of the State-wise fund settlement issued by Principal Chief Controller of Accounts;
 - (vi) the electronic Sanction (digitally signed) addressed to Central Accounting Authority containing State-wise details shall then be sent to the Office of Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Indirect Taxes and Customs;
 - (vii) the sanction letter shall also contain the details of settlement and it shall be available in records of State Government for future reconciliation and audit purposes;

- (viii) the State Governments shall be informed about the fund being transferred by Centre through the sanction;
 - (ix) a copy of sanction shall also be endorsed to concerned State Accountant General;
 - (x) the Central Accounting Authority shall generate an Inter Government Advice on the basis of sanction received from Department of Revenue and send it to the Reserve Bank of India [Central Accounts Section, Nagpur] electronically within three days of issue of sanction order;
 - (xi) the Reserve Bank of India shall make the necessary fund settlement between the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of States of the respective State, on the basis of electronic Inter Government Advice; generate the 'Clearance Memo' and transmit the same to Central Accounting Authority and State Accounting Authorities and Accountant General;
 - (xii) the Central Accounting Authority shall make appropriate accounting entries at the time of issuance of inter Government Advice to Reserve Bank of India;
 - (xiii) the respective State Accounting Authority and Accountant General shall make appropriate accounting entries at the time of receipt of clearance Memo from Reserve Bank of India.
- (d) The procedure for resolution of any discrepancy in respect of lists generated in accordance with the Standard operating Procedure, shall be as follows, namely:—
- (i) on receipt of the reports generated in accordance with the Standard Operating Procedure provided by Goods and Services Tax Network for every month, the State Tax nodal authorities shall reconcile the details of the payments received, Input Tax Credit cross-utilisation, reversals and declarations thereof and apportionment details as received from Goods and Services Tax Network, and where any discrepancy is noticed in respect of the said reports, the concerned nodal authority shall communicate the same to the Goods and Services Tax Network their findings with respect to the said discrepancy, attaching thereto a detailed explanation in support of their findings, along with the necessary evidence and documents, if any, connected to the said matter, as far as possible, within a period of three months from the end of the month in which the reports are received;
 - (ii) the communication, findings, explanation and the evidence and documents referred to in sub-clause (i) above shall be examined in detail by Goods and Services Tax Network, as far as possible, within a period of three months from the end of the month in which the said communication is received, and where the explanation is borne out from the records and other evidence, if any, in connection with the matter under examination, any amount

found eligible for settlement shall be included in the reports of the period immediately succeeding the period in which the examination was concluded:

- (iii) Provided that where only a part of the amount excluded from the reports is borne out from the records and other evidence, if any, in connection with the matter under examination, only so much of the amount as is so borne out shall be included in the report of the succeeding period, as aforesaid.

[F. No. S-31011/96/2025-ST-I-DoR]

MUTHURAMAN C., Under Secy.

Report GST STL - 1.01

[See Rule 4(a)]

Statement of transfer of funds between Centre and State/UT based on returns, other than returns and information received from Customs authorities
[Sec 17 and 18 of IGST Act and Sec 53 of CGST/SGST Act]

State/UT -

Year -

Month -/ All

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Month	IGST liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (including cross utilization by ISD) (1.02)	SGST/ UTGST liability adjusted against IGST ITC (1.03)	SGST/ UTGST portion of IGST collected on B2C supplies including ISD distribution to unregistered unit and OIDAR Services (1.04)	SGST/ UTGST portion of IGST for inter-State supplies made to composition taxable person/ Non-resident taxable person/ UIN holders/ persons registered for deducting TDS(1.05)	SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies (including imports) where ITC is declared as ineligible, including lapsed ITC due to opting composition scheme and tax paid with cancellation application or final return (1.06)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SGST/ UTGST portion of IGST collected on B to B supplies (including imports) where ITC remains un-availed till the specified period (1.07)		SGST/ UTGST portion of IGST collected on supplies imported by unregistered persons (1.08)	SGST/ UTGST portion of IGST for supplies imported by composition taxable persons/UIN holders/ persons registered for deducting TDS and SGST / UTGST portion of IGST for inward supplies liable to reverse charge received by composition taxable persons and Non-resident taxable persons (1.09)	SGST/ UTGST portion of interest related to returns paid on IGST / fee deposited for advance ruling (1.12)	Net Amount payable (-) by State/UT to Centre/ receivable (+) from Centre to State/UT [sum of col. 4 to 11 - col. 3]
(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
On account of domestic transactions	On account of imports				

Comments – Consequential changes due to changes in list reports.

Report GST STL - 1.02

[See Rule 4(b)(i)]

List of registered persons of the State/UT who have adjusted IGST liability from ITC of SGST/ UTGST and CGST (for col. 3 of 1.01 & 2.01)

[Sec 53 of CGST/SGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, GSTR-6, ITC-03, REG-16/GSTR-10)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross- utilization (Returns/ Other than returns)	ARN/ IGST Demand	Tax period of return	IGST paid from CGST ITC	IGST paid from SGST/ UTGST ITC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total							

Notes: 1. In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, reference number will be mentioned.

2. ARN refers to Acknowledgement Reference Number of Return

Comments – Invalid return is not being filed at present.

Report GST STL - 1.03

[See Rule 4(b)(ii)]

List of registered persons of the State/UT who have adjusted SGST/ UTGST liability from ITC of IGST (for col. 4 of 1.01)

[Sec 18 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, GSTR-6, ITC-03, REG-16/GSTR-10)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross-utilization (Returns/ Other than returns)	ARN/ SGST/UTGST Demand	ARN	Tax period of return	SGST/UTGST paid from IGST ITC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total							

*Note: In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, reference number will be mentioned.***Comments** – Invalid return is not being filed at present. Last column (CGST) is part of Report No. 2.02.

Report GST STL - 1.04

[See Rule 4(b)(iii)(A)]

List of persons registered in other State/UT who have made outward inter-State supply, including ISD distribution, to unregistered persons or units of the State/UT (including OIDAR services supplied to unregistered persons) (for col. 5 of 1.01& 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	State/UT of supplier	GSTIN of supplier	Category of Supply	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	IGST paid	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST Portio of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total									

Note: Column (4) shall be given in the following categories:

Category A: Inter State supplies (net of credit/debit notes) made to unregistered persons or ISD distributed to unregistered units

Category B: Information relating to OIDAR services supplied to unregistered persons by persons located outside country.

Comments – Category C to F are not relevant in the present return filing process.

Report GST STL - 1.05

[See Rule 4(b)(iii)(B)]

List of other State/UT registered persons who have made inter-State supply to composition taxable person /Non-resident taxable person /Person registered for deducting TDS of the State/UT/ UIN holders who have not claimed refund and time period for claiming refund has expired (for col. 6 of 1.01& 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-1, GSTR-3B)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	State/ UT of supplier	GSTIN of supplier	Trade name (Legal name, if not available)	Category of recipient	GSTIN of Recipient/ UIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	IGST paid	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Total											

Note: Column 5 shall have following categories:

- (e) Category A: Composition taxable persons,
- (f) Category B: Non-resident taxable persons,
- (g) Category C : UIN holders who have not claimed refund and time period expired, and
- (h) Category D : Persons registered for deducting TDS

Comments – Supplies made to UIN holders are not settled as they claim refund. Supplies made to deductor or e-commerce operators also need to be settled.

Report GST STL - 1.06

[See Rule 4(b)(iii)(C)]

List of registered persons who have made inter-State inward supplies for which ITC is declared as ineligible or in-admissible including ITC lapsed due to opting into composition scheme and tax paid in lieu of ITC reversal with filing of cancellation application or final return (for col. 7 of 1.01& 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, ITC-03, REG-16/GSTR-10, Table 4 of GSTR-2B)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN of recipient	Category of ITC to be apportioned	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return/ month of filing stock intimation	Amount of IGST available for apportion	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

Notes :

1. *Relevant section for claiming and reversing ITC - 17 and 18(4) of CGST / SGST Act.*

2. *Categories of Column 3 shall be as follows :*

- *Category A: Supply for which ITC is ineligible.*
- *Category B: ITC lapsed due to opting for composition scheme as per section 18(4) of CGST/SGST Act.*
- *Category C : ITC lapsed due to cancellation of registration: Tax paid with filing of cancellation application or final return.*
- *Category D: ITC not admissible due to limitation under section 16(4)*

Comments – Tax paid by taxpayers under IGST head while filing application for cancellation or final return need to be settled.

ITC is not lapsed on cancellation of registration.

Report GST STL - 1.07

[See Rule 4(b)(iii)(D)]

List of registered persons who have made inter-state inward supplies on which ITC remains unutilized till specified period (for col. 8 of 01.01 & 02.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-2B)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Unavailed IGST ITC available for apportionment	SGST/ UTGST portion of unavailed portion of IGST	CGST portion of unavailed portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Part A:	(On account of domestic transactions)						
Sub-total (Part A)							
Part B:	(On account of imports)						
Sub-total (Part B)							
Grand Total (A+B)							

Note: This report will include the details of those recipient taxable persons who have filed the return but not availed ITC till the specified period as provided for in section 16(4) of CGST/SGST Act.

Report GST STL - 1.08

[See Rule 4(b)(iii)(E)]

List of unregistered persons who have made import of goods (for col. 9 of 1.01 & 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: Bill of Entry)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Name of unregistered Person	IEC	Address	IGST paid including interest, if any	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Note: This report will include details of persons as received from Customs authorities, if made available. Source: Import data from Custom authorities.

Report GST STL - 1.09

[See Rule 4(b)(iii)(F)]

List of composition taxable persons, persons registered for deducting TDS who have made import, UIN holders who have received supply by way of import and have not claimed refund within time and list of composition taxpayers and Non-resident taxable persons who have received inward inter-State supplies liable to reverse charge (for col. 10 of 1.01 & 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-5, CMP-08, Bill of Entry)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of taxpayers	ARN, if any	Tax period	Goods/ Services (G/S)	IGST paid	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total									

Notes:

1) This report will include information about import of goods as received from custom authorities.

2) Data of import of services will be as declared in return.

3) Column 4 shall have following categories:

(a) Category A: Import of goods by Composition taxable persons,

(b) Category B: Import of goods by UIN holders and have not claimed refund within specified time,

(c) Category C: Import of goods by persons registered for deducting TDS, and

(d) Category D: Inter-state inward supplies that is liable to reverse charge received by Composition taxable persons and Non-resident taxable persons.

Comments – Information on RCM supplies made by NRTP has been included in GSTR-5 recently Import of services made by composition taxpayers is also settled.

Report GST STL - 1.12

[See Rule 4(b)(iii)(G)]

List of registered persons who have paid interest on IGST related to returns and fee deposited for filing advance ruling application under IGST (for col. 11 of 1.01 & 2.01)

[Sec 17 of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-7, GSTR-8, CMP-8, GSTR-10, ADVRL (Advance Ruling))

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of return	Interest on IGST paid	SGST/ UTGST portion of interest paid on IGST	CGST portion of interest paid on IGST	Fee collected on IGST for advance ruling	SGST/ UTGST portion of Fee collected on IGST for advance ruling	CGST portion of Fee collected on IGST for advance ruling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total										

Notes:

- 1) The interest will be apportioned among the States of recipient.
- 2) Fee deposited for filing advance ruling application under IGST will be apportioned to the concerned States.

Comments – Advance fee is also being paid under IGST head now.

Report GST STL - 2.01

[See Rule 5(a)]

State/UT wise book adjustment between CGST and IGST based on returns, other than returns and information received from Customs authorities.

[Section 17 and 18 of IGST Act and Sec 53 of CGST/SGST Act]

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	IGST Liability adjusted against CGST ITC (including cross utilization by ISD) (1.02)	CGST Liability adjusted against IGST ITC (2.02)	CGST portion of IGST collected on B2C supplies including ISD distribution to unregistered unit and OIDAR Services (1.04)	CGST portion of IGST for inter-State supplies made to Composition taxable person /Non-resident taxable person/ UIN holders / persons registered for deducting TDS (1.05)	CGST portion of IGST collected on B to B supplies (including imports) where ITC is declared as ineligible, including lapsed ITC due to opting composition scheme and tax paid with cancellation application or final return (1.06)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

CGST portion of IGST collected on B to B supplies (including imports) where ITC remains un-availed till specified period (1.07)		CGST portion of IGST collected on supplies imported by unregistered persons (1.08)	CGST portion of IGST for supplies imported by Composition taxable persons/ UIN holders/ persons registered for deducting TDS and CGST portion of IGST for inward supplies liable to reverse charge received by composition taxable persons and Non-resident taxable persons (1.09)	CGST portion of interest related to returns paid on IGST / fee deposited for advance ruling (1.12)	Net Amount payable (-) by Central tax account to IGST tax account receivable (+) from IGST account to Central tax a/c [sum of col. 4 to 11 - col. 3]
(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
On account of domestic transactions	On account of Imports				

Comments – Consequential changes.

Report GST STL - 2.02

[See Rule 5(b)]

List of registered persons who have adjusted CGST liability from ITC of IGST (for col. 4 of 2.01)

[Sec 18(a) of IGST Act]

(Source: Forms: GSTR-3B, GSTR-6, ITC-03, REG-16/GSTR-10)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Category of cross-utilization (Returns/Other than returns)	ARN/ Demand	Tax period of return	CGST paid from IGST ITC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Note: In case of cross-utilization of the credit for purposes other than returns, ARN of demand will be mentioned.

Report GST STL - 3.01

[See Rule 6(a)]

Apportionment of IGST amount recovered against demand paid and admitted amount deposited at the time of filing appeal

[Sec 17 of IGST Act]

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	Category of IGST amount to be distributed	Amount of IGST recovered or admitted amount deposited at the time of filing appeal					Amount apportioned	
			Tax	Interest	Penalty	Compounding amount	Total	CGST portion of the IGST	SGST/ UTGST portion of the IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Total							

Notes:

1) Relevant Section: Sec 73, 74, 74A, 128A, 79, 129, 107(6), 112(8) of CGST/SGST Act and other relevant sections.

2) Category mentioned in column 3 above shall be as follows :

(c) Category A : IGST amount recovered on demand, and

(d) Category B : Admitted IGST amount deposited at the time of filing appeal under section 107,112 of CGST/ SGST Act.

Report GST STL - 3.02

[See Rule 6(b)]

List of registered persons from whom IGST amount recovered against demand and admitted amount deposited at the time of filing appeal

(Source: Forms: DRC-03, DRC-3A, DRC-07/DRC-08, APL-01, APL-04)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Order number	Order date	Category of IGST amount to be distributed	Debit entry of cash ledger	Debit entry of credit ledger	Recovery under IGST head or admitted amount deposit at the time of filing appeal				Amount apportioned	
								Tax	Interest	Penalty	Total	CGST	SGST/UTGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total													

*Note:*1) *Relevant Section: Sec 73, 74, 74A, 128A, 79, 129, 107(6), 112(8) of CGST/SGST Act and other relevant sections.*2) *Category mentioned in column 6 above shall be as follows :*(a) *Category A : IGST amount recovered on demand, and*(b) *Category B : Admitted IGST amount deposited at the time of filing appeal under section 107,112 of CGST/SGST Act.*

Report GST STL - 4.01*[See Rule 7(a)]*

Distribution of IGST amount where place of supply or taxable person could not be determined

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Distribution of IGST where POS not known		Distribution of IGST where taxable person is not known		Total amount distributed	
	SGST/ UTGST portion	CGST portion	SGST/ UTGST portion	CGST portion	SGST/UTGST	CGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Report GST STL - 4.02

[See Rule 7(b)]

List of taxable persons from whom IGST has been collected and place of supply could not be known (For column 2 and 3 of 4.01)

[Sec 17 of IGST Act]

Year -

Month -

- e) GSTIN of supplier
 f) Amount of IGST to be distributed
 g) CGST Portion out of the amount mentioned at (b)
 h) Balance amount to distributed among States/UT's (b-c)

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT to whom supplies were made in previous period	Amount of supplies made to state	Ratio of supplies	SGST/ UTGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total				

Note : Apportionment is to done in the State/UT in same proportion in which supplies were made to each state.

Report GST STL - 4.03

[See Rule 7(c)]

Distribution of IGST that has been collected where taxable person is not known (For column 4 and 5 of 4.01)

[Sec 17 of IGST Act]

Year -

Month -

- a) Amount of IGST to be distributed
- b) CGST Portion out of the amount mentioned at (a)
- c) Balance amount to distributed among States/UT's (a-b)

(Amount in Rs.)

Sr No.	State/UT	Amount of tax collected in previous year	Ratio of Tax collected	SGST/ UTGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total				

Note : Apportionment is to done in the ratio of tax collection in the preceding year.

Comments – POS is mandatory in all relevant forms. There will be no record entered without POS.

Comments – Not relevant as Temp. ID or GSTIN is mandatory.

Report GST STL - 5.01

[See Rule 8(2)(a)]

State-wise consolidated statement showing a summary wherein Integrated Tax paid by taxpayer has already been apportioned but subsequently the liability of Integrated tax of the taxpayer is reduced due to various provisions of the CGST Act, SGST Act and UTGST Act leading to a reduction in amount settled to Centre (Central Tax) and from State (State Tax)/Centre (Union Territory Tax)

[Sec 17 of IGST Act]

State/UT/All -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Description	Reduction in amount	
		SGST/ UTGST	CGST
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Amount apportioned on account of inter-State inward supplies for which ITC was declared as ineligible but now becomes eligible <i>(details coming from STL 5.02)</i>		
2.	Amount apportioned on account of recovery of outstanding dues and subsequently refunded with interest due to appeal order <i>(details coming from STL 5.03)</i>		
3.	Reduction due to – any other reason other than the rectification of return of the amount already apportioned <i>(details coming from STL 5.04)</i>		
	Total		

Comments – In the current return process, there is no data source for Sr. 1 to 5.

Report GST STL - 5.03

[See Rule 8(2)(b)(ii)]

(for S. No. 2 of 5.01)

Reduction due to recovery of outstanding dues and subsequently refunded due to appeal order and interest thereof

(List of taxpayers)

(Source: Forms: DRC-03, DRC-03A, DRC-07, DRC-08, APL-01 and APL-04)

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN	Trade name (Legal name, if not available)	Demand Order Number	Demand Order date	Appeal Order Number	Appeal Order Date	Amount of outstanding dues refunded due to appeal order	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST	Amount of interest due to refund (col. 8)	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total												

Note : Relevant section - Sec 79, 107, 112, 117 and 118 of CGST / SGST Act along with Sec 50 of CGST/ SGST Act

Report GST STL - 5.04

[See Rule 8(2)(b)(iii)]

(for S. No. 3 of 5.01)

List of registered taxpayers where wrongly settled amount has been recovered

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. No.	GSTIN/UIN	Trade name (Legal name, if not available)	ARN	Tax period of ARN	Recovery of already settled amount	SGST/ UTGST portion of IGST	CGST portion of IGST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total							

Report GST STL - 7.01

[See Rule 10(1)]

Consolidated Settlement Report for State/UT

State/UT -

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	Details	Amount to be credited	Amount to be debited	Net Settlement Amount
1.	Settlement of accounts between Centre and State/UT relating to Returns and others (GST STL 1.01)			
2.	Apportionment of IGST amount recovered and admitted amount (STL 3.01)			
3.	Apportionment of IGST amount where place of supply or taxable person could not be determined (STL 4.01)			
4.	Reduction of the amount apportioned already due to refund of amount involved in appeal or due to any other reason etc. (STL 5.01)			
	Total			

Comments – Consequential changes.

Report GST STL - 7.02

[See Rule 10(2)]

Consolidated Settlement Report for Centre

State/UT /All-

Year -

Month -

(Amount in Rs.)

Sr. no.	Details	Amount Credited	Amount Debited	Net Settlement Amount
1.	Book adjustment between CGST and IGST for a State/UT relating to returns (STL 2.01)			
2.	Apportionment of IGST amount recovered and admitted amount (STL 3.01)			
3.	Apportionment of IGST amount where place of supply or taxable person could not be determined (STL 4.01)			
4.	Reduction of the amount apportioned already due to refund of amount involved in appeal or due to any other reason etc. (STL 5.01)			
	Total			

Comments – Consequential changes**Notes:**

- 8) Settlement of funds between Centre and States under section 53 of CGST/SGST Act and section 18 of IGST Act on cross- utilization of credit of IGST for discharging liabilities of SGST/ UTGST, CGST and vice-versa shall be made after filing of return.
- 9) Apportionment of IGST will be done on the basis of return filed by the taxable person.
- 10) Apportionment of IGST borne on import of goods, under section 17 of IGST Act, will be done on the basis of information received from Customs authorities.
- 11) Apportionment of IGST amount collected due to issue of debit note will be done in original tables.
- 12) Month represents the month in which apportionment is being done
- 13) Tax period represents the period to which the return or the information supplied by Custom authority pertains
- 14) ARN refers to Application Reference Number.

Report GST STL - 6.01

[See Rule 9(b)(i)]

Adjustment of funds between Centre and State due to recovery made out of refund and transfer of amount among heads of cash ledger.

State—
Month –

Year-

(Amount in ₹)

Sr. no.	Description	Amount transferred from (-)		Amount transferred to (+)			
		Major head	Amount	IGST	CGST	SGST/ UTGST	Cess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Recovery out of refund (6.02)	IGST					
		CGST					
		SGST/UTGST					
		Cess					
2.	Transfer from cash ledger (6.03)	IGST					
		CGST					
		SGST/UTGST					
		Cess					
3.	Total (1+2)	IGST					
		CGST					
		SGST/UTGST					
		Cess					
4.	Net amount to be Transferred (+) / (-)	IGST to CGST					
		IGST to SGST/UTGST					
		IGST to Cess					
		CGST to SGST/UTGST					
		CGST to Cess					
	SGST/ UTGST to Cess						

Report GST STL - 6.02

[See Rule 9(b)(i)(A)]

List of taxpayers from whose refund, recovery has been made

(Source: Forms: RFD-06)

State –

-

-

Year

Month

(Amount in ₹)

Sr. No.	GSTIN / Temp. ID	Demand order no.	Demand order date	Refund order no.	Refund order date	Amount transferred out of refund sanctioned (-)		Amount transferred to (recovery made) (+)			
						Major head	Amount	IGST	CGST	SGST/ UTGST	Cess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						IGST					
						CGST					
						SGST / UTGST					
						Cess					
	Total					IGST					
						CGST					
						SGST / UTGST					
						Cess					

		F																				
		O																				
2	Net Amount to be Transferred (+)/(-)	IGST to CGST																				
		IGST to SGST/UTGST																				
		IGST to Cess																				
		CGST to SGST/UTGST																				
		CGST to Cess																				
		SGST/UTGST to Cess																				

Report GST STL - 6.03

[See Rule 9(b)(i)(B)]

List of taxpayers who have made inter-head transfer of amount within cash ledger
(Source: Forms: PMT-09)

State-
Month –

Year-

(Amount in ₹)

Sr. No.	GSTIN / Temp. ID	ARN	ARN date	Amount transferred from (-)		Amount transferred to (+)			
				Major head	Amount	IGST	CGST	SGST/ UTGST	Cess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				IGST					
				CGST					
				SGST / UTGST					
				Cess					
	Total			IGST					
				CGST					
				SGST / UTGST					
				Cess					

Report GST STL - 6.04*[See Rule 9(b)(ii)]*

Summary of the refund under SGST/UTGST released by Centre
(Source: Forms: RFD-05)

Year –
Month-

State code	Name of State/ UT	No. of cases	Amount of refund released (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)

Report GST STL - 6.04A

[See Rule 9(b)(ii)]

List of taxpayers whose refund under SGST/UTGST has been released by Centre

(Source: Forms: RFD-05)

State-

Year-

Month –

(Amount in ₹)

Sr. No.	GSTIN / Temp. ID	Transaction ID no. (PFMS)	Transaction date (PFMS)	Reference no. (RFD-05)	Date of issue (RFD-05)	Amount of SGST/UTGST refund disbursed by Centre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Total					

Comments: The report is generated separately in this Form and is forwarded to DoR but it does not form part of Settlement process

Report GST STL - 6.05

[See Rule 9(b)(i)(B)]

Summary of intra-head and inter head transfer of funds within cash ledger

No. of GST PMT-09 filed: <<100>>

(Source: Forms: PMT-09)

Month-

(Amount in ₹)

State code	Name of State/ UT	No. of taxpayers	Major head from which transferred	Minor head from which transferred	Major head to which transferred	Minor head to which transferred	Amount transferred
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)